

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार मलिक
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक: मा0शि0 (NOC) अनुभाग / 3080-86 / 2021-22

दिनांक: 30-09-2021

विषय: दून पब्लिक स्कूल कासगंज रोड़ एटा को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-2144/15.07.2020-1(34)/2020, दिनांक 07 जनवरी, 2021 द्वारा सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन किये जाने के फलस्वरूप उक्त सन्दर्भित विद्यालय को निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया है-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी का चरित्र गैर स्वामित्व होगा तथा समय-समय पर नवीनकरण कराया जायेगा।
2. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
3. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ कराये जायेंगे।
4. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
5. शुल्क की मद एवं धनराशि के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018" का अनुपालन किया जायेगा।
6. राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
7. उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
10. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होते ही, तो उक्त बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

11. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत निर्धन वर्ग के बच्चों का प्रवेश करना अनिवार्य होगा।
12. संस्था की वार्षिक आय-व्यय का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायें।
13. स्कूल सुरक्षा नीति 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
14. अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के नियमानुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुये क्रियाशील रखा जायेगा तथा नियमानुसार प्रत्येक 03 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र का नवीनीकरण संस्था द्वारा कराया जायेगा।
15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 483/2004 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य में पारित आदेश के क्रम में भवन सुरक्षा नियमों का पालन किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूँकि या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार मलिक)

सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

पृष्ठोंकन संख्या एवं तिथि यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त महोदय, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
2. जिलाधिकारी, एटा की सेवा में सूचनार्थ एवं शासनादेश संख्या-228/15-7-2019 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक-31 जनवरी 2019 के क्रम में प्रमाणीकरण की कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. संयुक्त सचिव(शिक्षा-7 अनुभाग)उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा को इस आदेश के साथ कि शासनादेश, संख्या- 228/15-7-2019 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक-31.01.2019 के अनुपालन में प्रमाणीकरण की कार्यवाही करें।
6. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य दून पब्लिक स्कूल कासगंज रोड, एटा।

(जितेन्द्र कुमार मलिक)

सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़